सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2019/24

दायर दिनांक 17.01.2019

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. जुगल किशोर पुत्र जेठाराम, 2. कमला देवी पत्नि जुगल किशोर, समस्त जाति मेघवाल, निवासीयान रिक्शाबास 3. लालाराम पुत्र मुलाराम, जाति मेघवाल, निवासी धनकोली, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम	1. मन्जु उर्फ मनभरी पुत्री नाथु, 2. दामोदर पुत्र नाथु, 3. कमोद पुत्री नारायणराम, 4. सलोचना पुत्री जमन, 5. रोहित कुमार पुत्र सितिया, 6. आरती पुत्री आन्नदीलाल, 7. सावित्री पत्नि आन्नदीलाल, 8. रूकमा पुत्री दुर्गा, समस्त जाति हरिजन, निवासीयान धनकोली, तहसील डीडवाना 9. श्रीमान तहसीलदार साहब, डीडवाना

दावा बाबत् बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित–

1. श्री हीरसिंह बलारा, रणजीत बलारा अधिवक्ता, वादी की और से।

–:: निर्णय ::–

दिनांक 23.01.2019

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या 723 रकबा 6.17 बीघा वाके धनकोली स्थित है, जिसकी खातेदारी जमाबन्दी में वर्णित खातेदारो की थी लेकिन उक्त प्रतिवादी नम्बर 01 ता 08 के अलावा सभी खातेदारो ने जरिये विक्रय पत्रो के वादीगण को समय समय पर बेचाण कर मौके पर कब्जा संभला दिया था और इन विक्रय पत्रो के आधार पर वादीगण की खातेदारी दर्ज हो गयी है। अब वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 01 ता 08 का ही उक्त भूमि से सरोकार रहा है। जमाबंदी की नकल वाद के साथ पेश है। उक्त खेत के खातेदार मनोज कुमार, राजेश कुमार, लक्ष्मी ने अपनी खातेदारी की भूमि का बेचाण वादी नम्बर 01 को दिनॉक 24.08.2017 को, खातेदार सावित्री, आशा, बिजु देवी, छोटन, सम्पत, विजय, रीना, मीना, प्रकाश ने वादी नम्बर 01 को बेचाण जरिये रजिस्ट्री दिनॉक 06.10.2017 को कर दिया था तथा खातेदार बेवी, कोशल्या, भंवरी, नारायणी, रामप्यारी, कंचन, गोपाल, प्रहलाद, नेमीचन्द ने वादी कमला देवी को जरिये रजिस्ट्री दिनॉक 18.10.2017 को कर दी तथा खातेदार मनोज, संजु, किरन, कमला, राज, कोमल, शीतल, व सोनू ने वादी लालाराम को बेचाण जरिये रजिस्ट्री दिनॉक 18.10.2018 को विक्रय की तथा खातेदारी शशी, मुनीम, महेन्द्र, सम्पत, व लक्ष्मी ने भी अपने हिंस्से

पृष्ठ संख्या .....2.... लगातार

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

की भूमि का बेचाण वादी लालाराम को दिनॉक 23.10.2018 को कर दिया। इस प्रकार उक्त भूमि में से कुल भूमि 5.7 बीघा का विक्रय वादी नम्बर 1 ता 3 को समय समय पर कर दिया, जिस पर वादीगण काबिज है। तथा शेष 1.10 बीघा की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 01 ता 08 की है, उक्त खेतो का मौखिक बंटवारा पक्षकारान ने हाल ही में कर लिया है जिसके अनुसार खसरा संख्या 723 रकबा 6.17 बीघा में से दक्षिणी –पूर्वी 1.10 बीघा भूमि प्रतिवादी नम्बर 01 ता 08 के बंट व कब्जा काश्त में यथावत रहेगी। तथा प्रतिवादी नम्बर 01 ता 08 के चिपते ही 1.11 बीघा भूमि वादी नम्बर 03 लालाराम के बंट व कब्जा काश्त में तथा वादी लालाराम के हिंस्से के चिपते ही 1.19 बीघा भूमि वादी नम्बर 01 जुगल किशोर के बंट व कब्जा काश्त में तथा जुगल किशोर के हिंस्से के चिपते ही 1.17 बीघा भूमि वादी नम्बर 02 कमला देवी के बंट व कब्जा काश्त में आयी तथा इसी प्रकार वादीगण ने भूमि क्रय की थी, जिनकी खातेदारी राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। इस बंटवारे को वादीगण ने अपने नजरी नक्शा मे दर्शाया है जो वाद का भाग है, नजरी नक्शा वाद के साथ पेश है।

पक्षकारान ने उक्त खेत का मौखिक बंटवारा करके अपने अपने हिंस्सो पर सिंवे कायम करके काबिज हो गये है, लेकिन कानूनी रूप से बंटवारा नहीं होने से वादीगण को सरकारी सहायता लेने व अन्य कार्यो में भारी अड़चन होती है। इस कारण वादीगण उक्त खेत का कानूनी रूप से बंटवारा करवाना चाहते है। जिसके ये कानूनन अधिकारी है अतः वादीगण को दावा बाबत बंटवारा का करना लाजमी आया है। वादीगण की क्रय सुदा, खातेदारी, बंट व कब्जा सुदा भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का दखल नहीं करे इस हेतु वादीगण प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के जायज अधिकारी है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 को वास्ते जवाब देही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजुद तामिल के न्यायालय में हाजिर नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

मौखिक साक्ष्य में पी0 डब्ल्यु --1 जुगल किशोर व पी0 डब्ल्यू –2 कमला देवी का शपथ पत्र पेश हुआ, तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नजरी नक्शा प्रदर्श –1 है, खतौनी की नकल प्रदर्श –2 है, नक्शा ट्रैस प्रदर्श–3 है।

अधिवक्ता वादीगण की सारगर्भीत बहस सुनी, अधिवक्ता वादीगण ने वाद के साथ पेश नजरी नक्शा के अनुसार वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अतः पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया।

पृष्ठ संख्या .....3.... लगातार

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद धनकोली के खेत खसरा संख्या 723 रकबा 6.17 बीघा का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य "बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स" से विभाजन कर आदेश दिया जाता है कि वाद के फिकरा संख्या 03 में वर्णिता नुसार व वादीगण के नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार पक्षकारो को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो, तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 23.01.2019 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2019 / 24** दायर दिनांक **17.01.2019**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. जुगल किशोर पुत्र जेठाराम, 2. कमला देवी पत्नि जुगल किशोर, समस्त जाति मेघवाल, निवासीयान रिक्शाबास 3. लालाराम पुत्र मुलाराम, जाति मेघवाल, निवासी धनकोली, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम	1. मन्जु उर्फ मनभरी पुत्री नाथु, 2. दामोदर पुत्र नाथु, 3. कमोद पुत्री नारायणराम, 4. सलोचना पुत्री जमन, 5. रोहित कुमार पुत्र सितिया, 6. आरती पुत्री आन्नदीलाल, 7. सावित्री पत्नि आन्नदीलाल, 8. रूकमा पुत्री दुर्गा, समस्त जाति हरिजन, निवासीयान धनकोली, तहसील डीडवाना 9. श्रीमान तहसीलदार साहब, डीडवाना

दावा बाबत् बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा –53, 188 R. T. Act.

दिनांक :– **23.01.2019**

यह मुकद्दमा आज ववास्स्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिंह बलारा, अधिवक्ता, वादी ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि है दावा डिक्री सादिर कर सरहद मौजा धनकोली के खेत खसरा संख्या 723 रकबा 6.17 बीघा का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य "बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स" से विभाजन कर आदेश दिया जाता है कि वाद के फिकरा संख्या 03 में वर्णिता नुसार व वादी के नजरी नक्शा मे दर्शाये अनुसार पक्षकारो को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो।

नीज..........–..........मुबलिंग............मुबलिंग..........–.............बाबत............–............

ख़र्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह ....–........... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **23.01.2019** को जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर

डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांक –16–2015/रीडर/2019/140 दिनॉक 4/2/19

प्रेषिति :–

तहसीलदार

डीडवाना।

विषय :– अन्तिम निर्णय की पालना करने बाबत।

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

राजस्व वाद संख्या : 2019/24 निर्णय दिनांक 23.01.2019

वादी		प्रतिवादी
1. जुगल किशोर पुत्र जेठाराम, जाति मेघवाल, निवासीयान, रिक्शाबास, तहसील डीडवाना, जिला नागौर	बनाम	1. मंन्जू उर्फ मनभरी पुत्री नाथु, जाति हरिजन, निवासी धनकोली, तहसील डीडवाना, जिला नागौर वगैरह

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में अन्तिम निर्णय की छाया प्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर इस न्यायालय में भिजवाये, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हों।

सहायक कलक्टर

डीडवाना

Scanned by CamScanner